"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 फरवरी 2018 — माघ 12, शक 1939

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2018

सूचना

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2016-18/330 .— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. 76/छ. ग.-वि. स./2013 दिनांक 08-01-2018 के द्वारा विधान सभा निर्वाचन -2013 में जिला रायपुर से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 8 जनवरी, 2018 —— 18 पौष, 1939 (शक)

आदेश

संख्या 76/छ. ग.-वि. स./2013.—— यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के दौरान 49-रायपुर नगर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लिकेश सिंह, स्वेता आटा चक्की के सामने, मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़, ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री लिकेश सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एन. भार)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 8th January, 2018 ——18 Pausha, 1939 (Saka)

ORDER

No. 76/CGH-LA/2013.——Whereas, the Election Commission is satisfied that Sh Likesh Singh, In front of Shweta flour mill, Moulipara, Telibandha, Raipur, Chhattisgarh, a contesting candidate of 49-Raipur City West during General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly 2013 has failed to lodge any account of his election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made there under;

And Whereas, after considering the representation made by him the Election Commission is satisfied that the said candidate has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Sh Likesh Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

Sd/-
(K. N. Bhar)
Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.